विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

बुधवार, 09 सितम्बर, 2020 / 18 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या- 34

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के प्रथम सत्र के चतुर्थ भाग का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सातवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का चतुर्थ भाग सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054 में प्रारंभ होगा।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक अपराह्न 02.00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

फेस मास्क पहनना और पहचान पत्र प्रदर्शित करना :

कोविड—19 वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कोविड—19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क पहनें और अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी का पालन करें। माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे फेस मास्क पहन कर रखें तथा अपना पहचान पत्र साथ लाएं और प्रदर्शित करें, जिससे विधानसभा परिसर में उनको ठीक से पहचानने में भी मदद मिलेगी।

कोविड-19 (आरटी-पीसीआर) की अनिवार्य जाँच :

माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी माननीय सदस्यों का 14.09.2020 को होने वाले सत्र / बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से सत्र के 48 घंटे पहले तक किये गये कोविड—19 (आरटी—पीसीआर) की जाँच रिपोर्ट साथ लेकर आना अनिवार्य है।

माननीय संदस्य अपने स्तर पर आरटी—पीसीआर जाँच करवा सकते हैं या शुक्रवार दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे के बीच में विधानसभा परिसर में आरटी—पीसीआर जाँच के लिए आधार कार्ड के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

बैठने की व्यस्वथाः

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सदन में सदस्यों की बैठने की वर्तमान व्यवस्था लागू नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय उपाध्यक्षा, माननीय मुख्य सचेतक तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए आसन आरक्षित रहेंगें। माननीय सदस्य सदन में ''पहले आएं, पहले पाएं'' के आधार पर आसन ग्रहण करेंगे।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि 14 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग 14 सितम्बर, 2020 को मध्याह्न 12.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग की प्रकिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8—10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया:

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम—258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:—
 - 1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा नोटिस शाखा में ही दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रिववार या सार्वाजिनक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय—समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुली रहेगी।
 - 2. नोटिस शाखा में उप—िनयम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।
 - 3. जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएँ उप–नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त होंगी, उनकी प्रतिलिपि सिचव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जाएगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा की नोटिस शाखा में जमा कराना चाहिए। नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में स्थित है।
- (ग) विधान सभा की नोटिस शाखा में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा की नोटिस शाखा ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं / अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएँ न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी / शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ड.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

आगंतुकों का निषेध :

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 14 सितम्बर, 2020 से होने वाले विधानसभा के प्रथम सत्र के चतुर्थ भाग में दर्शकों/आगंतुकों को विधानसभा परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन, आई. पैड्स, टेबलैट्स, लैप्टोप्स या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Wednesday, 09 September, 2020/ 18 Bhadrapad, 1942 (*Shaka*)

No.34

COMMENCEMENT OF FOURTH PART OF FIRST SESSION OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Hon'ble Members are informed that Fourth Part of First Session of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on **Monday, the 14th September, 2020 at 02.00 PM** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

TIME OF SITTING:

The sitting of the Legislative Assembly will commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

WEARING OF FACE MASK AND DISPLAY OF IDENTITY CARDS:

In view of the prevailing Covid-19 pandemic situation, Hon'ble Members are requested to wear face mask and practice social distancing compulsorily to contain the spread of COVID-19 pandemic. Hon'ble Members are also requested to carry and display their Identity Cards while wearing face masks which would also help in identification in Legislative Assembly Complex.

MANDATORY TESTING OF COVID-19 (RT-PCR)

Hon'ble Speaker has directed that all Hon'ble Members are required to mandatorily carry Covid-19 test report (RT-PCR) done prior to 48 hours of the sitting/session i.e. 14/09/2020 for the purpose of attending the sitting/session on 14/09/2020.

Hon'ble Members may get RT-PCR test done at their own level or attend the Assembly Complex on Friday, 11 September 2020 between 10:00 A.M. to 1:00 P.M. alongwith their Aadhar Card for the RT-PCR Test.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are informed that keeping in view of the social distancing being practiced on account of COVID pandemic, the existing Seating Arrangement will not be applicable in the Session. Seats shall be reserved for Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Deputy Chief Minister, Hon'ble Ministers, Hon'ble Deputy Speaker, Hon'ble Chief Whip and Hon'ble Leader of Opposition. Hon'ble Members shall take their seat in the House on first come first served basis.

SPECIAL MENTION UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give Notice of the same by 11:00 A.M. on 14 September 2020. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary at 12.00 Noon on 14 September 2020. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Branch between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Branch after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
 - (3) While the House is sitting, copies of Notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to members by next day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Branch. THE NOTICE BRANCH IS LOCATED IN ROOM NO. 46.
- (c) All notices delivered in the Assembly Notice Branch are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Branch is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Branch shall remain open during office hours.

PROHIBITION ON VISITORS'

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker has directed that no visitors will be allowed during the Fourth Part of First Session of the Seventh Legislative Assembly commencing from 14 September 2020 in the Legislative Assembly Complex.

NOTE:- CELLULAR PHONES, I-PADS, TABLETS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

C. Velmurugan Secretary